

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-190/2009

दायर दिनांक:- 02.09.2009

जीसीएमएस नं. 2009/00122

उनवान

हरिसिंह पुत्र लालहंस जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन
जिला करौली राज0

वादीगण-08

बनाम

रामजीलाल पुत्र दिलखुश जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन
जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-11

दावा बाबत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 30.05.2018 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 190/2009 हरिसिंह बनमा रामजीलाल अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन